

कार्यालय प्रधान आयुक्त, केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय, जयपुर
नव केन्द्रीय राजस्व भवन, सी- स्कीम, जयपुर
(सतर्कता शाखा)

कार्यालय आदेश

दिनांक : 25.03.2019

इस कार्यालय आदेश के पूर्व आदेश संख्या II-39(13)/सत/97/पार्ट/ 704-730 दिनांक 10.12. 2014 के विस्तार में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के निवारण हेतु कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) के पत्र फा.सं. 11013/3/ 2009/ स्या. (ए) दिनांक 21.07.2019 एवं विशाखा एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 18.03.2017 के दिशानिर्देशों व कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारक) अधिनियम, 2013 के तहत अधिकारियों को आंतरिक शिकायत समिति का अध्यक्ष / सदस्य मनोनीत किया जाता है:-

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	पदनाम
1.	सुश्री रूचिता विज, अपर आयुक्त	अध्यक्षा
2.	सुश्री पारूल सिंघल, सहायक आयुक्त	सदस्य
3.	सुश्री शालिनी वर्मा, अधीक्षक	सदस्य
4.	सुश्री नीता शुक्ल, वरिष्ठ अनुवादक	सदस्य
5.	सुश्री रितु वर्मा, निरीक्षक	सदस्य
6.	सुश्री राजरानी शर्मा, कर-सहायक	सदस्य
7.	डॉ. मृदुल भसीन, मुस्कान (एन. जी. ओ.), 45, हथरोई, जयपुर- 302001	सदस्य

(Handwritten Signature)
(पी.के. सिंह)
प्रधान आयुक्त
25/3/19

फा. सं. II-39(13)सत./97/पार्ट/ 1662

दिनांक: 26.03.2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित है-

- मुख्य आयुक्त, सी.जी.एस.टी. एवं उत्पाद शुल्क, जयपुर जोन, जयपुर
- प्रधान आयुक्त/ आयुक्त, सी.जी.एस.टी. एवं उत्पाद शुल्क आयुक्तालय जयपुर/ अलवर /उदयपुर/ जोधपुर /अंकेक्षण आयुक्तालय, जयपुर/ अपीलस आयुक्तालय जयपुर/ जोधपुर/सीमा शुल्क आयुक्तालय, जयपुर
- अपर आयुक्त (कर-अपवंचना/तकनीकी)/संयुक्त आयुक्त(का.एवं.सत.). सीजीएसटी एवं उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, जयपुर।
- समस्त शाखा प्रभारी....., सीजीएसटी एवं उत्पाद आयुक्तालय, जयपुर
- संयुक्त/ उप/सहायक आयुक्त, सीजीएसटी एवं उत्पाद शुल्क संभाग- ए से आई, एवं जे एवं के, अजमेर
- अधीक्षक, एडवांस रूलिंग अपीलस प्राधिकरण, जयपुर
- सहायक निदेशक, राजभाषा, सीजीएसटी एवं उत्पाद शुल्क, जयपुर जोन, जयपुर
- प्रशासनिक अधिकारी(डी.डी.ओ.). सीजीएसटी एवं उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, जयपुर
- नोटिस बोर्ड/गार्ड फाइल
- विभागीय वेबसाइट www.centralexcisejaipur.nic.in पर अपलोड हेतु।

(Handwritten Signature)
बी. एल. मीना
25/3/19